न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मु0 सुरावास

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–09/2012 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–188, 92ए आर.टी.एक्ट

अनवान

1. लेला पिता श्रीराम अहीर निवासी सुरावास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––वादी

बनाम

1. नाथुलाल पिता भुरालाल अहीर
2. गुलाबी बेवा भुरालाल अहीर
3. नन्दा पिता श्रीराम अहीर
4. मांगु पिता श्रीराम अहीर
5. उदा पिता नोला अहीर
6. मोहनी बेवा गंगाराम अहीर
7. देवीलाल पिता गंगाराम अहीर
   सर्व निवासी सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. भुमि विकास बैंक जरिये शाखा सचिव/प्रबंधक शाखा गंगापुर तह0 सहाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 25.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत मु0 सुरावास केम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीबण कि विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए, आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरावास की आराजी नम्बर 1268/2 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 1269 रकबा 0.04 आराजी नम्बर 2151 रकबा 0.21, आराजी नम्बर 2152 रकबा 0.20, आराजी नम्बर 2493 आराजी नम्बर 0.27, आराजी नम्बर 2494 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 2496 रकबा 0.025, आराजी नम्बर 2501 रकबा 0.52, आराजी नम्बर 2503 रकबा 0.35, आराजी नम्बर 2516 रकबा 0.22, आराजी नम्बर 2575 रकबा 0.09 आराजी नम्बर 2745 रकबा 0.28, आराजी नम्बर 2759 आराजी नम्बर 0.16, आराजी नम्बर 2777 रकबा 0.20, आराजी नम्बर 2784/2 रकबा 0.28, आराजी नम्बर 2785 रकबा 0.02, 3140/2497 रकबा 0.05, आराजी नम्बर 4553 रकबा 0.027 किता 18 कुल रकबा 3.45है0 भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित

आराजियात अविभक्त होकर संयुक्त खातेदार व सयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा निहीत हैं। आराजी नम्बर 1269 रकबा 0.04है0 संयुक्त खातेदारी अधिपत्य प खातेदारी की होकर कृषि भूमि है जिसका आवासीय प्रयोजन हेतु सम्प0 नही हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 कि नियत मे बदनियति आ गई। प्रतिवादी संख्या 1 अनाधिकृत बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त आराजी संख्या 1269 पर आवासीय प्रयोजन से अपने हिस्से से अधिक भाग पर निर्माण कर रहा हैं। वादी व अन्य प्रतिवादीगण का हक समाप्त करने के आशय से निर्माण करने पर आमादा हैं। मौके पर नीव खोदना प्रारम्भ कर दिया व काम तामीर कर रखा है। वादी के मना किया जाने पर प्रतिवादीगण नही माने व लडाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये।

वादी ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजियात के लिए वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें कि वर्णित आराजियात को बिना विभाजन कराये अन्य को अन्तरित नही करें। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करे वादी का कब्जा नही हटावें तथा आराजी संख्या 1269 व अन्य पर निर्माण नही करें मौके व रिकार्ड स्थिति मे परिवर्तन नही करें। प्ररकण इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2012 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी किये गये। वर वक्त सुनवाई उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य मे नियत हैं प्रतिवादीगण को साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती हैं।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया न ही वादी/प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. को दिनांक 31.02.2012 को प्रस्तुत किया। वादी को वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 2 वर्ष का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी ऐसी समुचित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जो अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को सिद्ध कर सकें। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं सहखातेदारों का प्रत्येक इंच परप्रत्येक खातेदार का कब्जा होता है अतः न्यायालय स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार करना उचित नहीं समझता हैं अतएवं वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने से वादी का वाद पत्र 188, 92ए आर.टी.ए. खारिज किया जाने के योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. सिद्ध कराने में असफल रहने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट केम्प मु0 सुरावास

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–09/2012 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–188, 92ए आर.टी.एक्ट

अनवान

1. लेला पिता श्रीराम अहीर निवासी सुरावास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––वादी

बनाम

1. नाथुलाल पिता भुरालाल अहीर
2. गुलाबी बेवा भुरालाल अहीर
3. नन्दा पिता श्रीराम अहीर
4. मांगु पिता श्रीराम अहीर
5. उदा पिता नोला अहीर
6. मोहनी बेवा गंगाराम अहीर
7. देवीलाल पिता गंगाराम अहीर

   सर्व निवासी सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. भुमि विकास बैंक जरिये शाखा सचिव/प्रबंधक शाखा गंगापुर तह0 सहाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

दिनांक 25.06.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष दाद्यीच एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री आर0पी0 शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. सिद्ध कराने में असफल रहने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

डिक्री आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर